

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.1(20)एमई/ग्रुप-1/2018

जयपुर, दिनांक :

आदेश


06 MAR 2019

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.02.2019 के क्रम संख्या-3 पर अंकित चिकित्सक शिक्षक डॉ० डी.के. शर्मा, आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, जयपुर का मेडिकल कॉलेज भरतपुर में किया गया पदस्थापन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

वारेन्ट

डॉ० एस.आर. कोचर, आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन हाल पदस्थापन मेट्रोमास अस्पताल जयपुर का मेडिकल कॉलेज भरतपुर में पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

आदेश से



(मोहन लाल वर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज जयपुर/भरतपुर।
5. अधीक्षक, मेट्रोमास अस्पताल, जयपुर।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक को मार्फत संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज।
7. रक्षित/आदेश पत्रावली।



उप शासन सचिव